भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5446

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

बांधों की सुरक्षा

5446.श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रचालित और निर्माणाधीन बांधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मौजूदा और नए बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकरूप प्रक्रियाओं को विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार की केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), बांध-सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस), केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (सीडीएसओ) और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) को सांविधिक शक्तियां प्रदान करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके अंतर्गत बांध-सुरक्षा संबंधी एक राष्ट्रीय समिति के गठन पर भी विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको क्या दायित्व सौंपे जाने हैं; और

(च) क्या कुछ राज्यों ने इस मामले पर विरोध जताया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) केंद्रीय जल आयोग, राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) रखता है। एनआरएलडी-2019 के अनुसार, भारत में 5334 बड़े बांधों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 411 बड़े बांध निर्माणाधीन हैं। पूरे हो चुके बड़े बांधों और निर्माणाधीन बड़े बांधों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सरकार ने प्रस्तावित बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 के जरिए मौजूदा तथा नए बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समान प्रक्रियाएं विकसित करने का निर्णय लिया है।

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारों के तहत मजबूत कानूनी तथा सांस्थानिक ढांचा उपलब्ध कराना है। विधेयक में समुचित निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन तथा रख-रखाव द्वारा, बांधों के विफल होने के कारण आने वाली आपदाओं का निवारण एवं उपशमन की योजना है। बांध सु क्षा विधेयक, 2019 में बांधों के नियमित निरीक्षण, आपातकालिक कार्य योजनाएं, व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा, यंत्रीकरण और सुरक्षा नियमों सहित बांध सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दे शामिल हैं। इसमें बांध स्वामियों/संबंधित संगठनों को बांध सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और उलंघनकर्ताओं के खिलाफ भू -चूक के लिए दण्ड का प्रावधान हैं। विधेयक में प्रावधान है कि विनिर्दिष्ट बांधों का प्रत्येक स्वामी, विनिर्दिष्ट बांधों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए पर्याप्त तथा विशिष्ट धनराशि निर्धारित करेंगे।

विधेयक में, बांध सुरक्षा नीतियां बन ने तथा आवश्यक विनियमों की सिफारिश करने के लिए "बांध सुरक्षा विधेयक समिति" के गठन का प्रावधान है। इसमें, देश में नीति, दिशा-निर्देश और मानकों के कार्यान्वयन हेतु एक विनियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।

विधेयक में, राज्य में सभी विनिर्दिष्ट बांधों की समुचित निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन तता रख-रखाव सुनिश्चित करने तथा उनका सुरक्षित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा राज्य बांध सुरक्षा समिति के गठन का भी प्रावधान है।

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 के अनुसार, प्रत्येक राज्य को एक बांध सुरक्षा संगठन स्थापित करना है। जिसमें बांध सुरक्षा के क्षेत्र, विशेषकर बांध-डिजाइन, हाइड्रोमैकेनिकल, इंजीनियरिंग, जल विज्ञान, □□ तकनीकी अन्वेषण, यंत्रीकरण तथा बांध पुनरूद्धार से जुड़े अधिकारी कार्यरत होंगे।

प्रस्तावित बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 □□□□□□, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडी□□) को सौंपे गए कार्य इस प्रकार हैं-

1. बांध सुरक्षा के मानकों □□ □□□□ □□□□□□ बांधों के विफल रहने के कारण होने वाली □□□□□□□□ □□□□,बांध सुरक्षा नीतियां तैयार करने और आवश्यक विनियमों की सिफारिश □□□□,जैसा भी अपेक्षित हो, के उद्देश्य हेतु कार्य करना।
2. विशिष्ट बांधों और उसकी सहायक संरचनाओं में खराबी दूर करने के लिए सुधारात्मक उपायों हेतु अपनाये जाने वाली तकनीकों के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान □□□एक मंच के रुप मे कार्य करना।
3. बड़े बांधों की घटनाओं और बांधों की असफलताओं के कारणों का विश्लेषण व□□□ □□ □□ तरह की घटनाएं और असफलताओं को फिर से होने को रोकने के लिए आयोजना, विनिर्देश, निर्माण, संचालन और अनुरक्षण नीतियों में परिवर्तन करने के सुझाव देना।
4. बांध सुरक्षा विकास, सुरक्षा आश्वासन के वांछनीय स्तरों के लिए जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन, और बांध असफलता से प्रभावित लोगों के बीमा कवरेज के माध्यम क्षतिपूर्ति का पता लगाने संबंधी जैसे कार्यों के समेकन के रूप में व्यापक स्तर पर बांध □□क्षा प्रबंधन पद्धति तै□□□ □□□□□

5. केन्द्र सरकार या राज्य सरव , □□□ □□ □□□□□ □□, द्वारा भेजे गये बांध सुरक्षा संबंधी □□□ भी विशिष्ट मामले पर सलाह देना।
6. भारत की सीमा के बाहर स्थिति बांधों के संबंध में सुरक्षा उपायों संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा □□□□□ □□□□पर सिफारिशें देन□□
7. पुराने हो चुके बांधों की पुनर्बहाली संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशे करना।
8. केन्द्र या बाह्य सहायता प्राप्त निधियन के माध्यम से राज्यों में कार्यान्वित बांधों के पुनर्बहाली सं□□□ कार्यक्रमों के लिए नीतिगत पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना।
9. □□ध सुरक्षा के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र अभिनिर्धारित करना और निधियन की व्यवस्था की सिफारिश करना।
10. जर्जर अवस्था वाले बांधों के लिए समन्वित जलाशय प्रचालन संबंधी सिफारिशें करना;
11. केन्द्र सरकार द्वारा बांध सुरक्षा से संबंधित भेज□□□□□□□□किसी विशिष्ट मामले□पर कार्रवाई □□□□

(□) प्रारूप तैयार करते समय, विधेयक दिनांक 09.08.2016 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श हेतु भेजा गया था। ज्यादातर राज्यों ने प्रस्तावित विधेयक का समर्थन किया था। केरल और तमिलनाडु की आपत्ति थी कि जल, राज्य का विषय होने के नाते विधेयक की आवश्यकता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

केरल ने कहा था कि उनके राज्य में बांधों के रख-रखाव हेतु पहले से ही सांविधिक प्रावधान उपलब्ध हैं। तमिलनाडु ने ऐसे बांधों तथा जलाशयों के स्वामित्व के विषय में चिंता जाहिर की थी जिसका स्वामित्व, प्रचालन □□ □□-रखाव राज्य के पास है लेकिन वे स्थित अन्य राज्यों में हैं।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की दिनांक 18.02.2017 □□ □□ 37वीं बैठक में, प्रस्तावित विधेयक पर, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के साथ-साथ गहन विचार विमर्श हुआ था। बैठक के निष्कर्षों के अनुसार, राज्यों की शंकाओं के समाधान के लिए विधायी विभाग से परामर्श करके बांध सुरक्षा विधेयक में संशोधन करके इसे अंतिम रूप दिया गया है।

"बांधों की सुरक्षा" विषय पर दिनांक 25.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5446 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पूरे हो गए बड़े बांधों और निर्माणाधीन बड़े बांधों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.□□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण बांधों की संख्या	निर्माणाधीन बांधों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	2	
2	आंध्र प्रदेश	149	17
3	अरुणाचल प्रदेश	1	3
4	□□□	3	1
5	बिहार	24	2
6	छत्तीसगढ़	249	9
7	□□□	5	
8	□□□□	620	12
9	हिमाचल प्रदेश	19	1
10	हरिय□□□	1	
11	जम्मू और कश्मीर	15	2
12	□□□□□	55	24
13	कर्नाटक	230	2
14	□□□	61	
15	मध्य प्रदेश	899	7
16	महाराष्ट्र	2117	277
17	मणिपुर	3	1
18	□□□□□	8	2
19	मिजोरम	1	
20	□□गालैंड	1	
21	ओडिशा	200	4
22	□□□□	14	2
23	राजस्थान	204	8
24	सिक्किम	2	
25	तमिलनाडु	118	
26	□□□□□□	168	16
27	त्रिपुरा	1	
28	उत्तर प्रदेश	117	13
29	उत्तराखंड	17	8
30	पश्चिम बंगाल	30	
	कुल	**5334**	**411**

*****